वार्षिक प्रतिवेदन
(2009-10)

1. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग :

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 1763 दिनांक 22-08-2002, जो विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 17 के तहत निर्गत की गई है, के द्वारा अगस्त 2002 में बनाया गया। विद्युत अधिनियम 2003 के 10 जून 2003 के प्रभावी होने से यह आयोग उक्त अधिनियम की धारा 82 के तहत स्थापित माना गया है। अध्यक्ष द्वारा 24 अप्रैल 2003 को शपथ ग्रहण के साथ आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। शुरू में यह आयोग एकल सदस्य के रूप में कार्य करता रहा।

सितंबर 2004 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (अभियंत्रण) की नियुक्ति हुई जिससे यह दो सदस्यीय आयोग के रूप में काम करने लगा। तत्पश्चात् फरवरी 2005 में सदस्य (विधि) ने आयोग में योगदान दिया। इस प्रकार आयोग ने अपनी पूरी संख्या बल के साथ काम करना शुरू किया।

सदस्य (विधि) फरवरी 2008 में सेवानिवृत्त हो गयी। सदस्य (अभियंत्रण) सितंबर 2009 में सेवानिवृत हो गये। इस प्रकार आयोग में सदस्य के दोनों पद खाली हो गये हैं। फिलहाल आयोग एक सदस्यीय के रूप में काम कर रहा है। आयोग ने राज्य सरकार से दोनों रिक्त पदों को भरने के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

2. आयोग का कार्यालय :

आयोग का कार्यालय राजेन्द्र जवान भवन-सह-सैनिक बाजार मेन रोड, राँची के द्वितीय तल्ले पर किराये के मकान में चल रहा है। यह भवन झारखंड सैनिक कल्याण बोर्ड, जो राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन संस्था है, की संपत्ति है। आयोग ने राज्य सरकार को कार्यालय भवन के लिए जमीन देने के लिए आग्रह किया था। सरकार ने प्लॉट सं0 514, खाता सं0 328, थाना सं0 225, जो की राँची जिले के हिनू गांव में स्थित है, 78 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी है। आयोग ने इस जमीन का कब्जा 30 अक्टूबर 2009 को ले लिया है। उक्त भूखंड की चौहद्दी राज्य सरकार के अनुदान से भवन निर्माण विभाग द्वारा कराई गई है। आयोग ने कार्यालय भवन बनाने हेतु राज्य सरकार से अनुदान की मांग की है।

3. आयोग के कार्य :-

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग के निम्नांकित कार्य हैं **:-**

(i) राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण के लिए थोक, ढेर व खुदरा दरों तथा चक्रण दरों का निर्धारण करना।

परन्तु राज्य आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की जिस श्रेणी को खुली छुट की सुविधा दी हो, वहाँ उस श्रेणी के लिए चक्रण भार तथा अधिभार का निर्धारण करना ।

(ii) राज्य के भीतर समझौते के अन्तर्गत, विद्युत वितरण एवं आपूर्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बिजली कहाँ से और किस कीमत पर खरीदी जाएगी, का नियमन करना ।

(iii) अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण एवं विद्युत चक्रण को सुगम बनाना ।

(iv) राज्य के भीतर ऐसे व्यक्तियों को जो पारेषण, वितरण या विद्युत व्यापार करना चाहते हों, को अनुज्ञप्ति देना।

(v) सह-उत्पादन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उसको विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ना और ऐसी ऊर्जा की बिक्री की व्यवस्था करना । नवीनीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कुल ऊर्जा खपत का कुछ प्रतिशत प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए निर्धारित करना।

(vi) उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के बीच उठे विवादों का समाधान करना तथा किसी विवाद को विवाचक को सौंपना ।

(vii)इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुल्क लगाना ।

(viii)अधिनियम की उप धारा 79 (1) (ज) के तहत निर्धारित केन्द्रीय ग्रिड कोड के समरूप राज्य ग्रिड कोड बनाना।

(ix) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वासनीयता बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित करना तथा उनका अनुपालन करवाना।

(x) राज्य के भीतर विद्युत व्यापार के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो व्यापार अंतर निर्धारित करना।

(xi) अधिनियम के तहत यदि और कोई काम सौंपा गया हो, तो उसका निर्वाहन करना ।

राज्य आयोग निम्नांकित मामलों में से या इनमें से किन्ही मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देगा :-

(i) विद्युत उद्योग के क्रिया कलापों, प्रतिस्पर्धता, कार्यकुशलता तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ।

(ii) विद्युत उत्पादन में विनिवेश को बढ़ावा देना ।

(iii) राज्य के अंदर विद्युत उत्पादन को पुर्नगठित व पुर्नसंगठित करना ।

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा व्यापार से संबंधित मामलों में या फिर राज्य सरकार द्वारा भेजे गये किसी अन्य मामलों में परामर्श देना ।

राज्य आयोग अपने कार्यों के र्निवाहन में विद्युत अधिनियम 2003, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम व उपनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार कार्य करेगा ।

राष्ट्रीय विद्युत नीति निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है :-

(i) विद्युत की पहुँच - अगले पाँच वर्षों में सभी घरों को बिजली पहुँचाना ।

(ii) विद्युत की उपलब्धता - 2012 तक विद्युत की संपूर्ण माँग के अनुसार उपलब्धता । ऊर्जा संबधी व्यस्ततम तथा सामान्य कमी को समाप्त करना तथा अकस्मात आवश्यकता के लिए विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ।

(iii) दक्ष तरीकों से व उचित दरों पर निर्धारित मानकों के अनुसार विश्वसनीय व गुणवत्तापूर्वक विद्युत की आपूर्ति करना ।

(iv) वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत को 1000 यूनिट से भी अधिक तक बढ़ाना।

(v) वर्ष 2012 तक हर घर में प्रतिदिन कम से कम एक यूनिट खपत के लक्ष्य की प्राप्ति करना ।

(vi) विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा वाणिज्यिक क्षमता में बढ़ावा ।

(vii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा ।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति के निम्नांकित उद्देश्य हैं :-

(i) उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(ii) विद्युत क्षेत्र की वित्तीय सक्षमता को बढ़ाना तथा निवेश को आकर्षित करना ।

(iii) नियामक क्षेत्राधिकार में पारदर्शिता, निरंतरता तथा निश्चितता सुनिश्चित करना तथा कम से कम जोखिम की स्थिति पैदा करना ।

(iv) विद्युत क्षेत्र में प्रतिर्स्पधा तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देना और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना ।

4. आयोग के उद्देश्य :

विद्युत उद्योग के विकास के लिए हितकारी उपाय करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना, तार्किक टैरिफ का निर्धारण करना तथा कार्यकलापों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।

5. विनियमावलियाँ :

विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 181 के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए विनियमावली बनाने की शक्तियाँ दी गई है। किसी भी विनियमावली को अंतिम रूप देने से पहले उसका खाका आम जनमानस के लिए आयोग के वेब साईट पर तथा अखबारों के माध्यम से प्रचारित कर सुझाव मांगे जाते हैं। तत्पश्चात् जनसुनवाई भी की जाती है जिसमें विनियमावली के खाके तथा प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तदोपरांत ही विनियमावली को अंतिम रूप दिया जाता है।

(क) आयोग ने अभी तक निम्नांकित विनियमावलियाँ अधिसूचित की है :

1. झा0रा0वि0नि0आ0 (कार्य संचालन विनियमावली) आदेश, 2003

इस विनियमावली में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत आयोग अपने कार्यकलापों को निष्पादित करता है।

2. झा0रा0वि0नि0आ0 (विविध व्यवस्था) आदेश, 2003

इस विनियमावली में आयोग में आवेदन देने के तौर-तरीकों, शुल्क, आवेदन तथा शपथ पत्र के प्रपत्रों का उल्लेख किया गया है।

3. झा0रा0वि0नि0आ0 (राज्य सलाहकार समिति) विनियमावली, 2003

इस विनियमावली में राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्यों, गठन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

4. झा0रा0वि0नि0आ0 (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियमावली, 2004

इस विनियमावली में आयोग में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

5. झा0रा0वि0नि0आ0 (ताप विद्युत उत्पादित बिजली दरों के निर्धारण की शर्तें एवं बंधेज) विनियमावली, 2004

इस विनियमावली में ताप विद्युत उत्पादकों द्वारा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधरियों को बिजली बेचने की दरों का निर्धारण, अन्य शर्तें एवं बंधेज के बारे में उल्लेख किया गया है।

6. झा0रा0वि0नि0आ0 (विद्युत वितरण दरों के निर्धारण से संबंधित बंधेज एवं शर्तें) विनियमावली, 2004

इस विनियमावली में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु, विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की बिजली की दरों के निर्धारण तथा प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

7. झा0रा0वि0नि0आ0 (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा लोकपाल से संबंधित मार्गदर्शिका) विनियमावली, 2005

इस विनियमावली में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें तथा इनके संचालन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

8. झा0रा0वि0नि0आ0 (अंतर-राज्य पारेषण एवं वितरण में खुली छूट) विनियमावली, 2005

इस विनियमावली में उपभोक्ताओं की खुली छूट से संबंधित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें प्रतिसहायता, अधिभार तथा अतिरिक्त शुल्क, जो पारेषण/वितरण उपभोक्ताओं पर लागू होंगे, के बारे में प्रावधान किये गये हैं। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खुली छूट की शर्तों का भी निर्धारण किया गया है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया लागू होगी, का भी निर्धारण किया गया है।

9. झा0रा0वि0नि0आ0 (वितरण अनुज्ञप्ति शर्तें) विनियमावली, 2005

इस विनियमावली में विद्युत वितरण कंपनियों को अनुज्ञप्ति देने से संबंधित प्रक्रिया, शर्तें एवं बंधेज, अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्य तथा आवेदन का प्रपत्र आदि के बारे में जिक्र किया गया है।

10. झा0रा0वि0नि0आ0 (विद्युत प्रदाय संहिता) विनियमावली, 2005

इस विनियमावली में विद्युत प्रदाय की शर्तें, विद्युत आपूर्ति लेने के लिए होने वाले खर्च, तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उपभोक्ता का आवेदन किस तरह से और कितने समय में निष्पादित हो, का भी प्रावधान है। स्वीकृत लोड/कॉन्ट्रैक्ट मांग, सुरक्षा जमा से संबंधित प्रावधान, विद्युत विपत्र जारी करना तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया, विद्युत विच्छेद को पुन: जोड़ना, खराब मीटर को बदलना, उपभोक्ता के प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारी के प्रवेश का अधिकार तथा खराब उपकरणों को उपभोक्ता के प्रांगण से हटाना आदि से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

11. झा0रा0वि0नि0आ0 (विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यकलापों के मानक) विनियमावली, 2005

    विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा के लिए किन-किन मानकों का अनुपालन करना है, उन सभी का प्रावधान इस विनियमावली में किया गया है।

12. झा0रा0वि0नि0आ0 (अन्तर्राज्यीय व्यापार की अनुज्ञप्ति से संबंधित शर्तें एवं बंधेज) विनियमावली, 2006

    इस विनियमावली में राज्य के भीतर बिजली व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति देने से संबंधित प्रक्रिया, अन्य शर्तें एवं बंधेजों का उल्लेख किया गया है।

13. झा0रा0वि0नि0आ0 (बहुवर्षीय बिजली दरों के निर्धारण की शर्तें एवं बंधेज) विनियमावली, 2007

    इस विनियमावली में बहुवर्षीय बिजली दरों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान किये गये हैं, यथा किन-किन पर ये लागू होंगे, क्या समय-सीमा रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी तथा दूसरे क्या शर्तें एवं बंधेज रहेंगे, सालाना समीक्षा कैसे की जायेगी आदि ।

14. झा0रा0वि0नि0आ0 (छोटी जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में बिजली दरों के निर्धारण से संबंधित शर्तें एवं बंधेज) विनियमावली, 2007

    इस विनियमावली में छोटी जल विद्युत उत्पादन ईकाइयों की बिजली दरों के निर्धारण तथा अन्य शर्तें एवं बंधेजों का प्रावधान किये गये हैं ।

15. झा0रा0वि0नि0आ0 (विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से ली जाने वाली लागत के सिद्धांत एवं तरीके) विनियमावली, 2007

    यह विनियमावली में उन सभी सिद्धांतो तथा तौर तरीकों का प्रावधान है जो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों से लागत ले सकते हैं।

16. झा0रा0वि0नि0आ0 (राज्य विद्युत प्रदाय संहिता) विनियमावली, 2008

इस विनियमावली में उन सभी निर्देशों तथा मानकों का जिक्र किया गया है जो राज्य विद्युत प्रदाय प्रणाली को बनाये रखने के लिए नितांत आवश्यक है।

17. झा0रा0वि0नि0आ0 (जैव पिंड व जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं की बिजली दरों के निर्धारण की शर्तें एवं बंधेज) विनियमावली, 2010

इस विनियमावली में ऐसी सभी परियोजनाओं, जिन में जैव पिंड और जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन किया जाता है, से संबंधित बिजली दरों के निर्धारण की शर्तें एवं बंधेजों का जिक्र किया गया है।

18. झा0रा0वि0नि0आ0 (खुली छूट, लेखा प्रक्रिया एवं सामंजन) विनियमावली, 2010

इस विनियमावली में खुली छूट के माध्यम से होने वाली बिजली की खरीद फरोख्त का लेखा-जोखा तथा अन्य वित्तीय प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

19. झा0रा0वि0नि0आ0 (निजी विद्युत ईकाइयों की अतिरिक्त विद्युत का इस्तेमाल) विनियमावली, 2010

इस विनियमावली में निजी विद्युत उत्पादन ईकाइयों द्वारा, जो अतिरिक्त बिजली पैदा की जाती है, की खरीद फरोख्त से संबंधित प्रावधान किये गये हैं, जिन में ग्रिड से जुड़ाव, सामानन्तर व्यवस्था, विद्युत बिक्री की शर्तें, मीटरिंग, विद्युत विपत्र प्रक्रिया, विद्युत पारेषण की समय सारिणी, लेन-देन का सामंजन, वैकल्पिक व्यवस्था तथा प्रभावी शुल्क आदि शामिल है ।

(ख) आयोग ने झा0रा0वि0नि0आ0 (अन्तर्राज्यीय पारेषण तथा वितरण में खुली छूट) विनियमावली, 2010 में पहला संशोधन अधिसूचित किया है।

(ग) इसके अतिरिक्त आयोग ने सभी संबद्ध से सुझाव, प्रतिक्रिया तथा आपत्ति आमंत्रण हेतु निम्नांकित विनियमावली का प्रारूप जारी किया है।

(i) सौर पी0वी0 परियोजना तथा सौर ताप विद्युत परियोजना से संबंधित दरों का निर्धारण विनियमावली 2010 ।

(ii) पवन विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों से विद्युत खरीदने से संबंधित विनियमावली का निर्धारण 2010 ।

(iii) नवीनीकरण, क्रय बाध्यता तथा उसका अनुपालन विनियमावली 2010 ।

(iv) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 व 135, जो की विद्युत के अनाधिकृत तथा विद्युत चोरी से संबंधित है, के बारे में विद्युत आपूर्ति संहिता में संशोधन ।

(v) विविध व्यवस्था विनियमावली आदेश 2003 में संशोधन ।

उपरोक्त सभी प्रारूप विनियमावली में जनसुनवाई हो चुकी है और इनका अंतिम प्रकाशन आखरी चरण में है ।

(घ) आयोग ने निम्नांकित विनियमावलियों की समीक्षा का काम अपने हाथ में ले रखा है और शीघ्र ही सभी संबद्ध से इनके बारे में सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिक्रिया मांगी जायेगी।

i. ताप विद्युत उत्पादन व्यापार से संबंधित विनियमावली ।

ii. वितरण व्यापार से संबंधित विनियमावली।

iii. बहुवर्षीय टैरिफ के ढाँचे से संबंधित विनियमावली।

(ङ) आयोग ने निम्नांकित विनियमावली बनाने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है।

i. पारेषण व्यापार से संबंधित विनियमावली।

ii. राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र व्यापार विनियमावली।

iii. जल विद्युत व्यापार विनियमावली।

उपरोक्त सभी विनियमावलियों का अंतिम प्रकाशन इसी वर्ष कर दिया जायेगा।

6. विद्युत उत्पादन

झारखंड में निम्नांकित विद्युत उत्पादक कंपनियाँ हैं :

(क) कंपनियाँ जिनकी ताप विद्युत प्लांट हैं :

i. झारखंड राज्य विद्युत पर्षद (पी0टी0पी0एस);

ii. तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी0वी0एन0एल);

iii. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टी0पी0सी0एल);

iv. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड (दा0घा0नि0लि0);

v. बोकारो विद्युत आपूर्ति कंपनी (बी0ई0एस0सी);

(ख) निम्नांकित कंपनियों के जल विद्युत प्लांट भी झारखंड में अवस्थित हैं :

i. झारखंड राज्य विद्युत पर्षद का जल विद्युत परियोजना सिकिदरी, राँची में हैं ।

ii. बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।

(ग) निजी विद्युत कंपनियाँ :

i. उषा मार्टिन लिमिटेड, जमशेदपुर।

ii. बिहार कॉस्टिक एवं केमिक्लस लिमिटेड, रहेला, पलामू।

iii. कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

iv. रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा।

v. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरी, राँची।

इन सभी उपरोक्त कंपनियों के अपने निजी विद्युत प्लांट हैं और इनकी अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली राज्य की दूसरी वितरक कंपनियाँ खरीद कर उपभोक्ताओं के बीच बांटती है।

राज्य में विद्युत उत्पादन की स्थिति निम्न प्रकार से है :

झारखंड में विद्युत उत्पादन

कंपनी का नाम	विद्युत उत्पादन की किस्म	प्लांट का स्थान	उत्पादक ईकाईयाँ (सं0 x क्षमता) (मेगा वॉट)	उत्पादन क्षमता (मेगा वॉट)	घटाई गई उत्पादन क्षमता (मेगा वॉट)	वास्तविक उत्पादन (मेगा वॉट)
झा0रा0वि0प0	ताप विद्युत	पतरातू	4x50+2x100+ 4x110	840	770	110
	पवन विद्युत	सिकिदरी	2x65	130	130	110
टाटा पावर कंपनी लि0*	ताप विद्युत	जोजोबेरा	1x67.5+3x120	427.5	427.5	270
टिस्को IV	ताप विद्युत	जमशेदपुर	1x12.5+1x20+ 1x25	57.5	57.5	52
बोकारो स्टील लिमिटेड एवं डी0वी0सी0	बोकारो स्टील सिटी	बोकारो स्टील प्लांट	1x302	302	302	270
डी0वी0सी0	ताप विद्युत	बोकारो (ए)	1x247.5	247.5	175	150
	ताप विद्युत	बोकारो (बी)	1x630	630	630	630
	ताप विद्युत	चंद्रपुरा	1x780	780	750	750
	पवन विद्युत	मैथन	1x4	4	4	4
	पवन विद्युत	पंचेत	2x40	80	80	80
उषा मार्टिन	ताप विद्युत	जमशेदपुर	1x25 + 3x1	28	20	18
	डीजल	जमशेदपुर	1x3 + 3x1	6	6	6
	डीजल	राँची	15 यूनिट कुल 6 मेगा वॉट	6	6	6
टी0वी0एन0एल0	ताप विद्युत	तेनुघाट	2x210	420	420	410
डी0एल0एफ0	कोयला वाशरी रिजेक्ट	गिद्दी	1x10	10	10	5
	कोयला वाशरी रिजेक्ट	रजरप्पा	1x10	10	10	5
टिस्को (माइंस)	ताप वाशरी रिजेक्ट	नोवामुंडी	2x10 + 2x10	40	40	30

सी0सी0एल0	ताप विद्युत	कथारा	1x10	10	10	5
हिण्डालको	ताप विद्युत	मुरी	1x3+ 2x1.5+ 1x2.5	8.5	8.5	8.5
	डीजल	मुरी	0.88	0.88	0.88	0.88
			कुल	**4037.88**	**3857.38**	**2430.38**

*टाटा पावर की एक 120 मेगा वॉट की ईकाई नवम्बर में चालू हुई ।

7. झारखंड में विद्युत की स्थिति :

राज्य में लगभग 1400 मेगा वॉट बिजली की आवश्यकता है जिसमें दामोदर घाटी निगम का क्षेत्र भी शामिल है। दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र में 550 मेगा वॉट बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि दामोदर घाटी निगम के क्षेत्र की मांग को घटा दिया जाए तो राज्य के बाकी के क्षेत्र के लिए लगभग 840 मेगा वॉट बिजली चाहिए। उच्चतम मांग के समय बिजली की मांग 1000 मेगा वॉट तक हो जाती है। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी निगम 497 मेगा वॉट बिजली देती है जबकि 267 मेगा वॉट बिजली केन्द्रीय पूल से आती है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड 185 मेगा वॉट बिजली पैदा करती है जबकि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन 80-120 मेगा वॉट के लगभग बिजली पैदा करती है। उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में जहाँ तक बिजली उत्पादन का सवाल है यह बहुत कम नहीं ही जान पड़ती है, परन्तु आये दिन किसी न किसी क्षेत्र में बिजली नहीं मिलती है। बिजली के नहीं होने के पीछे मुख्य कारण संचरण व विद्युत वितरण का कमजोर ढाँचा है, जो पूरे भार को सहन नहीं कर पाता है। बिजली आपूर्ति करने के लिए राज्य में चार अलग-अलग नेटर्वक है, यथा छोटानागपुर, संथालपरगना, पलामू और दामोदर घाटी निगम कमाण्ड क्षेत्र । ये क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसलिए यदि एक क्षेत्र के नेटर्वक में कोई समस्या आ जाती है तो दूसरे

क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति में कठिनाई होती है। इसी तरह दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में भी झारखंड राज्य विद्युत पर्षद का अपना कोई नेटर्वक नहीं है ।

इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि पूरे राज्य में संचरण तथा वितरण से संबंधित नेटर्वक को सुदृढ़ किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती रहे।

8. विद्युत संचरण

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 (क) के अनुपालन में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विद्युत पर्षद को राज्य संचरण ईकाई घोषित कर रखा है। इस तरह झारखंड राज्य विद्युत पर्षद राज्य की संचरण ईकाई के रूप में भी काम कर रहा है।

9. विद्युत वितरण

झारखंड राज्य में विद्युत वितरण हेतु निम्नांकित अनुज्ञाधारी हैं :

1. झारखंड राज्य विद्युत पर्षद (पूरे राज्य के लिए)
2. टाटा स्टील लिमिटेड (जमशेदपुर शहर के लिए)
3. सेल, बोकारो (बोकारो शहर के लिए)
4. दामोदर घाटी निगम (दा0घा0नि0 के कमाण्ड क्षेत्र के लिए) तथा
5. जुस्को (सरायकेला-खरसावां जिले के लिए) ।

द्वितीय अनुज्ञप्तिधारी :

जुस्को, टाटा स्टील लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसे सरायकेला-खरसावां में विद्युत वितरण करने हेतु दूसरी अनुज्ञप्ति दी गई है। विनियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का निर्वाहन करते हुए जुस्को को यह अनुज्ञप्ति 1/12/2006 को

25 वर्ष के लिए दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि सरायकेला-खरसावां क्षेत्र में झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के साथ-साथ जुस्को भी विद्युत वितरण के लिए प्राधिकृत है। पूरे देश में झारखंड पहला राज्य है जहाँ एक क्षेत्र विशेष के उपभोक्ताओं को दो अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से भी विद्युत लेने की पूरी छूट है।

10. टैरिफ निर्धारण :

(1) झारखंड राज्य विद्युत पर्षद :

झारखंड राज्य विद्युत पर्षद पूरे झारखंड राज्य में विद्युत आपूर्ति करता है।

आयोग ने अभी तक झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के लिए दो टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2003-04 तथा 2006-07 के लिए जारी किए हैं। कुछ मुद्दों पर विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में झारखंड राज्य विद्युत पर्षद ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के टैरिफ आदेश के विरूद्व अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कुछ मुद्दों पर पुन: सुनवाई के लिए आयोग को निर्देश दिया। यह निर्देश अपील संख्या 129/2007 में दिनांक 8/5/2008 को दिया। उपरोक्त आदेश के आलोक में आयोग ने झारखंड राज्य विद्युत पर्षद से उसके आकेंक्षित लेखे की मांग की तो झारखंड राज्य विद्युत पर्षद ने पुन: विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अभ्यावेदन देकर आग्रह किया कि आयोग को बिना आकेंक्षित लेखा के ही दर निर्धारण से संबंधित मसलों का निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया जाए, और बाद में जब आकेंक्षण हो जाएगा तो फिर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के इस आवेदन पर विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने 23/2/2009 को आदेश दिया कि आयोग नियमों तथा उपनियमों के अनुसार मसले का निष्पादन करें।

इस बीच झारखंड राज्य विद्युत पर्षद ने वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 का वार्षिक राजस्व मांग अप्रैल 2008 में आयोग को दिया तथा वित्तीय वर्ष 2008-09

का टैरिफ आवेदन मार्च 2009 में दिया। चूंकि बार-बार स्मरण के बावजूद भी झारखंड राज्य विद्युत पर्षद आकेंक्षित लेखा नहीं दे पाया, इसलिए आयोग ने स्वत: वित्तीय वर्ष 2010-11 के टैरिफ निर्धारण का कार्य शुरू किया, जो कि देय हो गया था। स्वत: कार्रवाई करने के पीछे मुख्य मकसद विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करना तथा विद्युत दरों को अद्यतन करना था। इसलिए स्वत: कार्रवाई करते हुए झारखंड राज्य विद्युत पर्षद को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि आयोग क्यों नहीं वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए विद्युत दर निर्धारित करें । इस स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब में झारखंड राज्य विद्युत पर्षद ने आकेंक्षित लेखा देने के लिए नौ महीने का समय मांगा। चूंकि झारखंड राज्य विद्युत पर्षद को बार-बार लिखने पर भी आकेंक्षित लेखा नहीं मिल रहा था और उसकी संभावना भी बहुत कम थी, इसलिए उनके अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया और दर निर्धारण संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई। विद्युत पर्षद ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2010-11 की विद्युत दर निर्धारण, उपलब्ध कागजात के आधार, पर कोई आपत्ति नहीं है। आयोग ने जनसुनवाई के उद्देश्य से विद्युत पर्षद को वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 की वार्षिक राजस्व मांग तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के टैरिफ आवेदन के लिए आम नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ताकि सभी संबद्ध से आपत्ति/सुझाव/प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। विद्युत पर्षद ने ऐसा किया भी। अनेकों सुझाव/आपत्ति और प्रतिक्रिया प्राप्त भी हुई। तत्पश्चात् आयोग ने देवघर, धनबाद, मेदिनीनगर, राँची तथा जमशेदपुर में जनसुनवाई की। टैरिफ आदेश अंतिम चरण में है और शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा।

जनसुनवाई में एक उपभोक्ता अपने विचार रखते हुए।

(2) टाटा स्टील लिमिटेड :

मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड जिसे पहले टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी (टिस्को) के नाम से जाना जाता था, जमशेदपुर शहर में 1923 से ही विद्युत आपूर्ति कर रही है। जमशेदपुर में विद्युत आपूर्ति के लिए टिस्को को विद्युत अधिनियम 1910 की धारा (28) (1) के तहत लाइसेंस दिया गया था। विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद विद्युत अधिनियम 1910 समाप्त हो गया। इसलिए टाटा स्टील ने 24/12/2003 को आयोग में लाइसेंस हेतु आवेदन दिया। चूँकि आयोग अभी-अभी गठित हुआ था और विद्युत वितरण का लाईसेंस देने से संबंधित विनियमावली नहीं बन पायी थी, इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 (ख) व धारा 14 के परंतुक 1 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 24/03/2004 से टाटा स्टील को

जमशेदपुर शहर में पुराने अधिनियम के तहत ही तबतक बिजली आपूर्ति जारी रखने का आदेश दिया जबतक संबंधित नियमावली आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं हो जाती है।

आयोग द्वारा विनियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् टाटा स्टील को 12/01/2006 को लाईसेंस निर्गत किया गया जो 24/03/2004 से प्रभावित माना गया।

मेसर्स टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक राजस्व मांग व टैरिफ आवेदन दिया। तत्पश्चात् मेसर्स टाटा स्टील तथा मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड दोनों ने ही मिलकर संयुक्त आवेदन भी दिया कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की ईकाई सं0 2 व 3 को मेसर्स टाटा स्टील की निजी ईकाई माना जाए। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 2/11/2007 से उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये दोनों ईकाई निजी विद्युत प्लांट की अर्हतायें व शर्तें पूरी नहीं करती है। आवेदकों ने आयोग के इस आदेश के विरूद्व विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी अपील सं0 160/2007 में अपने आदेश 7/5/2008 के जरिये अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, आयोग तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के स्थगन आदेश की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया परन्तु आयोग तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर स्थगन आदेश नहीं दिया। इस बीच मेसर्स टाटा स्टील ने वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ आवेदन 23/09/2008 को आयोग में दायर किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से संबंधित मेसर्स टाटा स्टील के आवेदन के निष्पादन के पश्चात् आयोग ने भी मेसर्स टाटा स्टील को वर्ष 2009

व 10 के लिए वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ आवेदन दायर करने का निर्देश दिया क्योंकि तबतक इस वित्तीय वर्ष का टैरिफ भी देय हो गया था। मेसर्स टाटा स्टील ने 31/7/2009 को ये कार्रवाई पूरी की। चूंकि मामला अपीलीय न्यायाधिकरण में था इसलिए 2007-08 व 2008-09 का अभ्यावेदन आयोग में लंबित चल रहा था इसलिए आयोग ने 3 वर्षों का अर्थात 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लेखों की समीक्षा की और सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया।

(3) जुस्को :

जुस्को, जो मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, को सरायकेला-खरसावां के द्वितीय अनुज्ञप्तिधारी के रूप में 1/12/2006 के विद्युत वितरण हेतु लाईसेंस जारी किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2007-08 जुस्को के कार्यकलापों का पहला वर्ष था और उन्होंने सरायकेला-खरसावां जिले में मात्र सात माह बिजली आपूर्ति की। जुस्को ने वित्तीय वर्ष 2007-08 का अभ्यावेदन जून 2007 में दिया। चूंकि सरायकेला-खरसावां जिले में जुस्को तथा झारखंड राज्य विद्युत पर्षद दोनों अनुज्ञप्तिधारी साथ-साथ विद्युत वितरण का काम कर रहे थे, इसलिए आयोग ने अपने आदेश 16/10/2007 के औपबंधिक तौर पर झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के उच्चतम दर को ही सरायकेला-खरसावां जिले में जुस्को के लिए भी लागू कर दिया। बाद में आयोग द्वारा झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के विद्युत दरों को ही जुस्को के कार्य क्षेत्र में लागू करने का आदेश पारित किया। जुस्को ने 21/4/2009 को वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 का वार्षिक राजस्व मांग तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत दर निर्धारण से संबंधित अभ्यावेदन 21/4/2009 को दिया। आयोग ने सभी

औपचारिकताएँ पूरा करते हुए टैरिफ आदेश निर्गत किया जो 20/1/2010 से लागू किया गया है।

जनसुनवाई में एक उपभोक्ता अपनी बात रखते हुए।

(4) भारत इस्पात प्राधिकार, बोकारो :

भारत इस्पात प्राधिकार, बोकारो जिसे संक्षेप में सेल, बोकारो के रूप में भी जाना जाता है। बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो शहर तथा आसपास के अधिगृहित इलाकों में विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति करता रहा है। उक्त अधिनियम के समाप्त होने के पश्चात् व विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावी होने के कारण सेल, बोकारो ने आयोग को अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करने हेतु 28/7/2000 को आवेदन दिया। आयोग ने आवश्यक

औपचारिकताएँ पूरी करते हुए सेल, बोकारो को अपने क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति जारी की।

सेल, बोकारो ने वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए फरवरी 2007 में आवेदन दिया । परन्तु सेल, बोकारो ने टैरिफ निर्धारण हेतु जो लेखा एवं सूचनाएँ चाहिए थी, वे नहीं दी। आयोग ने औपबंधिक रूप से सेल, बोकारो को झारखंड राज्य विद्युत पर्षद के लिए निर्धारित दरों पर ही विद्युत आपूर्ति करने हेतु आदेश दिये और निर्देश भी दिया कि वे वांछित सूचनाएँ यथाशीघ्र आयोग को उपलब्ध करायें। हालांकि वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के टैरिफ आवेदन देय हो गये थे, परन्तु सेल, बोकारो ने ये आवेदन नहीं दिये। उन्होंने इसका मुख्य कारण दामोदर घाटी निगम से विद्युत खरीद को बताया, जिसकी दरों के निर्धारण से संबंधित मामला विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लंबित था। उन्होंने यह आवेदन दायर करने हेतु आयोग से समय की मांग की उन्हें 15/05/2010 तक का समय दिया गया।

जनसुनवाई में उपस्थित बोकारो के उपभोक्तागण

(5) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड :

मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1913 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी है। और झारखंड में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। जमशेदपुर के जोजोबेरा में दो विद्युत उत्पादन ईकाई-ईकाई 2 व 3 इस कंपनी की काम कर रही है। इन दोनों ही ईकाईयों की उत्पादन क्षमता 120-120 मेगा वॉट है अर्थात दोनों की कुल उत्पादन क्षमता 240 मेगा वॉट है। इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-08 का अपना वार्षिक राजस्व मांग तथा टैरिफ आवेदन मई 2007 में दिया। इसके पश्चात् मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा टाटा स्टील लिमिटेड, दोनों ने मिलकर आयोग में आवेदन दिया कि उनकी विद्युत उत्पादन ईकाई संख्या 2 व 3 को टाटा स्टील लिमिटेड की निजी ईकाई माना जाए। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 02/11/2007 के द्वारा उनके इस अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये दोनों ईकाईयाँ विद्युत अधिनियम 2003 तथा विद्युत नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित अर्हताएँ व शर्तें पूरा नहीं करती हैं। आयोग के इस आदेश को इन दोनों कंपनियों ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में चुनौती दी। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने मई 2008 में अपीलकर्त्ताओं की अपील खारिज कर दी। तत्पश्चात् इन दोनों कंपनियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश तथा आयोग के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया और स्थगन आदेश की मांग की। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया परन्तु स्थगन आदेश नहीं दिया। इस बीच टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने अपनी 2008-09 के लिए टैरिफ आवेदन सितंबर 2008 में दायर किया। फरवरी 2009 में वित्तीय वर्ष 2009-10 का भी टैरिफ आवेदन दिया जो की देय हो चुका था। चूंकि मामला कुछ समय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा इसलिए वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 के आवेदन लंबित रह गये थे। सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के मना करने पर

लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया और 2009-10 के लिए टैरिफ भी निर्धारित कर दिया गया।

जनसुनवाई में टाटा पावर के पदाधिकारी अपना पक्ष रखते हुए

(6) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड :

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, झारखंड की विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 1987 में किया गया। इस कंपनी की 210-210 मेगा वॉट क्षमता की दो विद्युत उत्पादन ईकाईयाँ हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 420 मेगा वॉट है। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु जून 2009 में आवेदन दिया। आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करते हुए टैरिफ आदेश 5 मार्च 2010 को जारी कर दिया गया।

(7) दामोदर घाटी निगम :

दामोदर घाटी निगम का गठन दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत किया गया। दामोदर घाटी निगम अपने कमाण्ड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन दिया। साथ ही कहा कि विद्युत उत्पादन टैरिफ से संबंधित मामला अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लंबित है इसलिए इन आवेदनों का निष्पादन अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद किया जाए। यहाँ यह कहना प्रसांगिक होगा कि दामोदर घाटी निगम, झारखंड व बंगाल में विद्युत आपूर्ति करती है। यह भारत सरकार का उपक्रम है। इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन टैरिफ केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है और उसी को आधार मानकर उपभोक्ताओं के लिए दर झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाती है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के लिए वहाँ का आयोग टैरिफ निर्धारित करता है ।

टैरिफ आवेदनों के अद्यतन स्थिति :

दायर किए गये टैरिफ आवेदन : 8 (आठ)

टैरिफ आदेश निर्गत किये : 6 (छः) - दामोदर घाटी निगम का मामला अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में लंबित होने के कारण निष्पादित नहीं हो सका । टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का आवेदन 20/3/2010 को दायर किया गया जो कि अभी लंबित है।

टैरिफ आवेदन पर कुल बैठक : 26 (छब्बीस)

11. जन सहभागिता :

(क) राज्य सलाहकार समिति :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के अन्तर्गत आयोग में राज्य सलाहकार समिति काम कर रहा है। नियमानुसार समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होनी है। अभी तक समिति की आठ बैठकें हो चुकी हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद समिति के पुर्नगठन का प्रावधान है।

वर्त्तमान में समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :

- अध्यक्ष, झा0रा0वि0नि0आ0 पदेन सदस्य
- सदस्य (वित्त) झा0रा0वि0नि0आ0 पदेन सदस्य
- सदस्य (तकनीक) झा0रा0वि0नि0आ0 पदेन सदस्य
- प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार पदेन सदस्य
- प्रधान सचिव, खाद्य, जनवितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग, झारखंड सरकार पदेन सदस्य
- प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, झारखंड सरकार पदेन सदस्य
- प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार पदेन सदस्य

गैर सरकारी सदस्य

1. अध्यक्ष, झा0रा0वि0प0, राँची
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, दा0घा0नि0, कोलकाता
3. प्रबंध निदेशक, जुस्को, जमशेदपुर
4. प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर
5. प्रबंध निदेशक, सेल, बोकारो, बोकारो स्टील सिटी

6. प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, राँची
7. महाप्रबंधक (विद्युत), टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर
8. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, राँची
9. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, मेकन, राँची
10. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एच0ई0सी, राँची
11. उपकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची
12. विभागाध्यक्ष (विद्युत), बिरला तकनीकी संस्थान, राँची
13. मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, द0पू0रेलवे, कोलकाता
14. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीस, राँची
15. अध्यक्ष अखिल भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाईबासा, प0सिंहभूम
16. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, जमशेदपुर
17. अध्यक्ष, आदित्यपुर लघु उद्योग एसोसिएशन, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां
18. अध्यक्ष, झारखंड लघु, सूक्ष्म सेवा एवं व्यापार संघ, बोकारो स्टील सिटी
19. अध्यक्ष, झारखंड लघु उद्योग संघ, राँची
20. महासचिव, धनबाद जिला फ्लॉवर मिल्स एसोसिएशन, धनबाद
21. महासचिव, संथाल परगना लघु उद्योग संघ, देवघर

राज्य सलाहकार समिति का मुख्य काम आयोग को निम्नांकित मुद्दों पर सलाह देना है :-

(क) विद्युत से संबंधित नीतिगत मसले;

(ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लगातार तथा अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति;

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञा की शर्तों एवं अर्हताओं का अनुपालन;

(घ) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; तथा

(ड.) विद्युत आपूर्ति तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्यों के मानकों का अनुपालन।

(ख) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :

विद्युत अधिनियम 2003 में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कई प्रावधान किये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 42 (5) के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञाधारी को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का स्थापना करना है। फोरम के तीन सदस्य विभिन्न तकनीकी व वित्त के जानकार होते हैं। राज्य में जितने भी अनुज्ञाधारी हैं, सभी ने अपने यहाँ इस तरह के फोरम बनाये हैं। उपभोक्ता विद्युत संबंधी शिकायत इस फोरम में करते हैं । फोरम दोनों पक्षों को सुनकर मामले का निष्पादन करता है। प्रसांगाधीन अवधि में सेल, बोकारो, टाटा स्टील लिमिटेड तथा जुस्को में किसी भी उपभोक्ता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। झारखंड राज्य विद्युत पर्षद तथा दामोदर घाटी निगम में जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका ब्यौरा निम्नांकित प्रकार से है :

क्रम सं0	विशिष्टियाँ	झा0रा0वि0प0	दा0घा0नि0
		2009-10	2009-10
1.	लंबित शिकायतों की सं0	36	01
2.	दायर शिकायतों की सं0	18	02
3.	निष्पादित मामलों की सं0	31	01
4.	उपभोक्ताओं के पक्ष में दिये गये निर्णयों की सं0	16	01
5.	फोरम की कुल बैठकें	95	26

(ग) ओमबुड्समैन :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) के अन्तर्गत ओमबुड्समैन नियुक्त करने का प्रावधान है। यदि कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के

आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह ओमबुड्समैन के यहाँ अपील कर सकता है। प्रसंगाधीन अवधि में ओमबुड्समैन के यहाँ, जो मामले आये, उनकी स्थिति निम्नांकित है :

क्रम सं0	विशिष्टियाँ	ओमबुड्समैन
		2009-10
1.	लंबित शिकायतों की सं0	13
2.	दायर शिकायतों की सं0	17
3.	निष्पादित मामलों की सं0	09

(घ) जिला स्तरीय समिति

झारखंड सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 166(5) के अन्तर्गत उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के निम्नांकित कार्य हैं :

i. जिले में चल रहे विद्युतिकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना तथा समन्वय बनाये रखना।

ii. विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता व उपभोक्ता संरक्षण मामलों की समीक्षा करना।

iii. विद्युत संरक्षण को बढ़ावा देना।

इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने पर करने का प्रावधान है ।

12. जनसुनवाई :

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार आयोग के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाना एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्युत दरों के निर्धारण में जनसुनवाई इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे जब भी कोई विनियमावली बनाने का काम आयोग अपने

हाथ में लेता है तो सबसे पहले उसका खाका जनमानस के सुझाव एवं प्रतिक्रिया के लिए प्रचारित किया जाता है। ऐसे सुझाव व प्रतिक्रिया प्राप्त होने के पश्चात् उस पर जनसुनवाई की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के पश्चात् ही विनियमावली को अंतिम रूप दिया जाता है।

विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों की टैरिफ दरों के निर्धारण करने के क्रम में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुज्ञाधारी अपने आवेदन का सारांश अखबारों के माध्यम से प्रचारित करते है। आयोग एक निश्चित तिथि को, जिसकी अखबारों के माध्यम से जनमानस को सूचना देने का प्रयास किया जाता है, उस क्षेत्र में जाकर सुनवाई करता है। सभी संबद्ध के सुझावों को ध्यान में रखकर ही विद्युत टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाता है।

इन जनसुनवाई की बैठकों में विद्युत आयोग को उपभोक्ताओं से अनेकों प्रकार की शिकायतें भी मिलती है। आयोग उन सभी शिकायतों पर अनुज्ञप्तिधारियों से कार्रवाई करवाता है और प्रयास रहता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण तत्परता से हो। प्रसंगाधीन अवधि में जनसुनवाई के लिए आयोग ने तेरह बैठकें की ।

जनसुनवाई के पश्चात् संवाददाताओं को संबोधित करते अध्यक्ष, झा0रा0वि0नि0आ0

13. आयोग के अदालती कार्य :

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अतंर्गत आयोग को अनुज्ञाधारियों तथा उत्पादक कंपनियों एवं उपभोक्ता तथा अनुज्ञाधारियों के बीच उठे विवादों का समाधान करना है। प्रसांगाधीन अवधि में इस तरह के 14 मामले दायर हुए, सभी का आयोग द्वारा निष्पादन हुआ। इस अवधि में आयोग ने 67 बैठकें की ।

14. सूचना का प्रसार :

आयोग अपने कार्यकलापों के बारे में जनसाधारण को सूचना देने के लिए वेबसाईट का प्रयोग करता है और जिसको समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। आयोग के कार्यालय में एक कम्प्यूटर क्योस्क की भी स्थापना की गई है जिससे कोई भी व्यक्ति आकर सूचना ग्रहण कर सकता है। विभिन्न समाचारपत्रों तथा मैगजीनों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत् कराने का प्रयास किया जाता है।

15. लेखा :

राज्य सरकार के द्वारा निधि नियमावली 21 नवंबर 2009 को अधिसूचित किया गया। लेखा के रखरखाव के लिए प्रपत्र भी अधिसूचित किये गये। आयोग के द्वारा आय-व्यय का लेखा एवं वर्ष 2009-10 का लेखा अधिसूचित प्रपत्र में किया जायेगा। आयोग अभी तक पुराने प्रपत्र के अनुसार ही अपना लेखा तैयार करता रहा है तथा उसे चार्टड अकाउन्टेंट फर्म से प्रमाणित करवा कर उसका आकेंक्षण महालेखाकार कार्यालय से करवाता रहा है। आयोग का वित्तीय वर्ष 2009-10 का आकेंक्षण महालेखाकार द्वारा हो गया है।

वर्ष 2009-10 में आयोग को राज्य सरकार के द्वारा 1 करोड़ 35 लाख रूपये का अनुदान वेतनादि एवं अन्य खर्चों के लिए दिया गया। आयोग को अन्य स्रोतों से इस वर्ष में कुल 98,94,907 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

----------***----------